

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-143/ (स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक-07.12.2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -उपमुख्य शीर्ष 01-पुनर्वास लघु शीर्ष-200-अन्य राहत उपाय उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय विपत्र कोड N-2235012000003 मद में कुल- 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्रम सं०	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
01	02	03	04	05
1	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	-	8000=00	8000=00
2	अंचल अधिकारी, पैलाढ़	-	3000=00	3000=00
3	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	-	3000=00	3000=00
4	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	-	3000=00	3000=00
5	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	-	3000=00	3000=00
6	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	-	5000=00	5000=00
7	अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड	-	4000=00	4000=00
8	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	4000=00	4000=00
9	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	-	3000=00	3000=00
10	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	-	3000=00	3000=00
11	अंचल अधिकारी, चौसा	-	4000=00	4000=00
12	अंचल अधिकारी, पुरैनी	-	3000=00	3000=00
13	अंचल अधिकारी, आलमनगर	-	4000=00	4000=00
	कुल-		50000=00	50000=00

कुल- पचास हजार रुपये मात्र

उपावंटन की शर्त :-

- (1) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, -उपमुख्य शीर्ष 01-पुनर्वास, लघु शीर्ष-200-अन्य राहत उपाय, उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय विपत्र कोड N2235012000003 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान -वेतनादि के अलावा द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (2) यह आवंटन विभागीय पत्रांक 4041/आ0प्र0 दिनांक-06.12.2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के तहत निर्गत किया जा रहा है। इस राशि से शीतलहरी की दशा में अलाव की व्यवस्था सभी शहरी/अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। अंचलाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाए, जहाँ अधिक-से-अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय, जहाँ अधिक-से-अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके।

- (3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।
- (4) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रतः शीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय झापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
- (7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- (8) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से आपदा प्रबंधन शाखा को भेजना सुनिश्चित किया जाय। इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

झापांक : 1012 / आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक : 09.12.16

- प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिथुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिथुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
09/12/16

10534

पत्रांक-1प्र0आ0-36/2011-4041/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा 21/4/3/21/9 प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।



सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

शीतलहर/पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर/पाला से
बचाव के उपाय करने के संबंध में।

पटना-15, दिनांक-6/12/16

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह
दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी प्रचण्ड एवं भयावह
शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष भी दिसम्बर माह के प्रारम्भ से ठंड प्रारंभ हो गई है।
संभावना है कि शीतलहर भी शीघ्र ही शुरू हो जाय। अवगत है कि प्रायः शहरी/अर्द्ध शहरी
क्षेत्रों में बसे गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन (Homeless) व्यक्ति विशेष रूप से शीतलहर
से प्रभावित होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है
कि यह शीतलहर से प्रभावित होने वाले जनसामान्य, विशेषकर गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों,
को बचाव हेतु समुचित प्रबंध करे।

2. अवगत है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-32-3/2010-NDM-1
दिनांक-13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave) /पाला (Frost) को
राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के
अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है, जिसका
संसूचन विभाग द्वारा पत्रांक-4285/आ0प्र0, दिनांक-18.10.2012 द्वारा किया गया है।
विभागीय परिपत्र सं0 1973/आ0प्र0 दिनांक-26.05.2015 द्वारा राज्य में साहाय्य मानदर
को लागू किया गया है। साहाय्य मानदर को आपदा प्रबंधन विभाग के Website पर भी
Upload किया गया है। तदनुसार राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष
के अंतर्गत शीतलहर/पाला की निम्नांकित परिस्थितियों में साहाय्य अनुमान्य होगा -

“(क) किसी क्षेत्र को शीतलहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायेगा-

1. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे
अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो
जाय।

II. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो
वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह
रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब
उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायेगा।”

1035
06/12/16

राज्य में किसी जिले को शीतलहर/फाला (Frost) से प्रभावित मानने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

3. गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों की शीत लहर से रक्षा के लिए निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय :-

3.1 **रैन बसेरों /अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था-** (क) शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, असहायों, आवास विहिनों एवं सदृश्य श्रेणी के ऐसे गरीब निःसहाय व्यक्तियों के रहने हेतु रैन बसेरों (Night Shelters) की समुचित व्यवस्था की जाय। जहाँ रैन बसेरे उपलब्ध न हों तो वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलिथिन शीट्स, टेंट, तारपोलीन शीट्स का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण स्थली बनायी जाय। रैन बसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखे जायें। कम्बल किसी को आवंटित नहीं किया जाय, अपितु किन्हीं के उक्त रैन बसेरों में शरण लेते समय कम्बल का उपयोग उनके द्वारा किया जायगा। शरण स्थली से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ताकि जन सामान्य को इसकी पूर्ण जानकारी रहे तथा वे सरकार द्वारा एतद् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सकें तथा इस व्यवस्था की मौनेटरिंग/ निगरानी की जाय। रैन बसेरों की व्यवस्था एवं रख-रखाव स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से होगी।

3.2 **कम्बल वितरण:-** आवासहीन (Homeless) गरीबों, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच आवश्यकतानुसार कम्बल का वितरण किया जाय। कम्बल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।

3.3 **अलाव की व्यवस्था:-** (क) जिला विशेष में ज्यों ही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी द्वारा अपने विवेक से गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था जिला मुख्यालय से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। अलाव की व्यवस्था करते समय जिला पदाधिकारी के द्वारा यह ध्यान रखा जाय कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हों यथा धर्मशालाएं, अस्पताल परिवार, रैन बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/बस स्टेशन आदि। साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। अलाव के लिए चिन्हित स्थानों की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार मिडिया के माध्यम से कराया जाय।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी

नामित किया जाय। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं निःसहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरुपयोग न हो, साथ ही मितव्ययिता बरती जाय।

अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाएगी।

- 4 निरीक्षण एवं अनुश्रवण:- जिला पदाधिकारी रैन बसेरों, अन्य शरण स्थलों (यदि कोई हों) एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समय-समय पर घूम-घूम कर अलावों के जलने का निरीक्षण करेंगे। शीतलहर से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन 25 दिसम्बर से राज्य नियंत्रण कक्ष के फैक्स संख्या 0612-2215734 एवं प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के ईमेल- secy-disastermgmt-bih@nic.in पर प्रतिदिन राध्या 4.00 बजे तक अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे। दैनिक प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।
- 5 मीडिया के साथ समन्वय:-

(क) जिला पदाधिकारी इस संबंध में अपने जिले में किए गए प्रबन्धों की विस्तृत जानकारी स्थानीय मीडिया को देते रहेंगे। शीत लहर से बचाव के लिए किये जाने वाले उपाय से प्रचार माध्यमों से जनता को भी अवगत कराया जाय। शीतलहर से स्वयं के बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, पम्पलेटों, समाचार-पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हॉर्डिंग एवं बैनर लगाकर एवं अन्य समाचार माध्यमों से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था करेगा।

(ख) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में यदा-कदा शीतलहर से मृत्यु की सूचना प्रकाशित होती है। ऐसी सूचना के तथ्यों की जाँच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाय तो उनका खंडन समाचार-पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। परंतु यदि सूचना सही हो तो इस पत्र की कांडिका -2 के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निदेशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाय।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4041/आ10प्र0

पटना-15, दिनांक- 6/12/16

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही जिलों के भ्रमण के समय रैन बसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

शीतलहर के प्रकोप से बचाव के कार्य संबंधी दैनिक संशोधित प्रतिवेदन

दिनांक-

जिला -

क्र०	जिला का नाम	अलावों की संख्या एवं स्थान	प्रतिदिन जलाये गये लकड़ी की मात्रा (कि०ग्रा० में)	शीतलहर के प्रकोप से प्रभावित जनसंख्या	मृतकों की संख्या	आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवंटित राशि (लाख में)	अद्यतन धन की गयी राशि (रुपये में)	आवटन के विरुद्ध व्यय की गई राशि का प्रतिशत	रेन बरसा की संख्या	रेन बसेरा में आश्रय लेने वालों की संख्या	वितरित कम्बलों की संख्या	(प्रत्येक जलाये गये लकड़ी की मात्रा)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
कुल												

जिला पदाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) /
प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर